न्यायालय-अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश **(SC/ST(PA)Act),** सिद्धार्थनगर।

UPSD010004922026

Bail Application/253/2026

1.ज्योति शर्मा पुत्र लल्लू शर्मा

साकिन रानीगंज मोगलहा, थाना उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर।

-----प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

सरकार उ०प्र० आदि

----विपक्षी/आपत्तिकर्ता

मु०अ०सं०-183/2025
धारा-115(2),352 BNS व
3(1)द, व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट
थाना-उसका बाजार, जिला सिद्धार्थनगर।

दिनांक-10-03-2026

अभियुक्ता ज्योति शर्मा की ओर से मु०अ०सं०-183/2025 धारा 115(2),352 BNS व 3(1)द व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्ता उपरोक्त मामले में न्यायिक हिरासत में है। अभियुक्ता पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया है कि प्रार्थिनी बेगुनाह एवं निर्दोष है महज रंजिशन हैरान व परेशान करने की गरज से फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है। प्रार्थिनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थिनी का श्रीमान जी के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है और न ही निस्तारित ही हुई है। आवेदिका ने वादिनी मुकदमा को न तो गाली गुप्ता दिया है, न ही मारा-पीटा है एवं न ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित किया है। प्रार्थिनी के ऊपर आयत धाराएं एस०सी०/एस०टी० एक्ट को छोडकर सभी धाराएं प्रथम श्रेणी

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.10 16:30:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थिनी संभ्रान्त परिवार की व्यक्ति है। जिससे अन्देशा मफरूरी हरगिज नहीं है एवम् अदालत द्वारा आहूत किये जाने पर प्रार्थिनी बराबर हाजिर आती रहेगी तथा प्राप्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगी। उक्त मामले में आरोप पत्र न्यायालय में आ चुका है। जिससे साक्ष्य एवं साक्षियों से छेडछाड की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थिनी अपना जमानत मुचालिका देने को तैयार है, अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

वादिनी मुकदमा को जारी नोटिस तामील होकर के प्राप्त है। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर विरोध किया गया व जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 3(1)द व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के अलावा अन्य अपराध मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। अभियुक्ता आज तक अन्तरिम जमानत पर रही है। दौरान अन्तरिम जमानत अभियुक्ता द्वारा जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विचारण अभियुक्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगण रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता ज्योति शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा मु0–25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर, अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनॉकः–10–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736